



न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना


पीठासीन अधिकारी- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/229

दायर दिनांक 03.08.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. मुख्तार खॉ पुत्र अलादीन खॉ जाति शैरानी मुसलमान निवासी शैरानी आबाद तह. डीडवाना।	1. जमील खॉ पुत्र श्री अलादीन खॉ 2. खातुन पुत्री अलादीन खॉ 3. जुबैदा पुत्री अलादीन खॉ 4. बिसमिला पुत्री अलादीन खॉ 5. बरकत पुत्री अलादीन खॉ 6. दाउद खॉ पुत्र जोमरदीन खॉ 7. मनीरदीन खॉ पुत्र जोमरदीन खॉ 8. आसीया बानो पुत्री जोमरदीन खॉ 9. मजीद खॉ पुत्र रुस्तम खॉ 10. हबीब खॉ पुत्र कालू खॉ उर्फ दीनदार खॉ 11. ईजाज खॉ पुत्र फतेह खॉ 12. फारुक खॉ पुत्र मोईदीन खॉ 13. मो० रसीद पुत्र मोईदीन खॉ 14. मेहसीन खॉ पुत्र रमजान अली 15. सुफिया पत्नी रमजान अली 16. जैतून पुत्री मोईदीन खॉ 17. अजीजन पत्नी जलाल खॉ 18. फातमा बानो पत्नी गुलाब खॉ 19. गुलाब खॉ जोमरदीन खॉ 20. बिलाल खॉ पुत्र जलाल खॉ 21. इब्राहिम खॉ श्री गुलाब खॉ 22. शेर बानो पत्नी हसन खॉ 23. लाल मोहम्मद पुत्र दाउद खॉ 24. मेहमुद अली पुत्र दाउद खॉ 25. गनी मो० पुत्र दाउद खॉ 26. मो० हनीफ खॉ पुत्र दाउद खॉ 27. हाजरा बानो पुत्री दाउद

बनाम्


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-2017/229
दाखर दिनांक 03.08.2017, निर्णय दिनांक 13.09.2017
मुख्यारखों बनाम जमीन खों, दनैरा।

	खों
	28. नूर बानो पुत्री दाउद खों
	29. गुलशान बानो पुत्री दाउद खों
	30. जमील अहमद पुत्र लोडू खों
	31. गुलशान बानो पत्नी मोहबत अली जातिगण शैरानी मुसलमान निवासी शैरानी आबाद तह. डीडवाना
	32. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, प्रसारणार्थ
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :-

1. श्री मोहम्मद शरीफ शैरानी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक 13.09.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 31 एक ही गांव व परिवार से है तथा खेत खसरा नम्बर 23 रकबा 51 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद बडाबरा पटवार हल्का मण्डूकरा खसरा न. 19 रकबा 40 बीघा 09 बिस्वा व खसरा न. 20 रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद कुडोली हल्का पटवारी पीडवा ख.न. 77 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद शैरानी आबाद पटवार हल्का शैरानी आबाद खसरा न. 319 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा वाके सरहद शैरानी आबाद पटवार हल्का शैरानी आबाद में स्थित है।

वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति की भूमि खेत ख. न. 23 रकबा 51 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद बडाबरा, खसरा नम्बर 19 रकबा 40 बीघा 09 बिस्वा व खसरा नम्बर 20 रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद कुडोली, खसरा नम्बर 77 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद कुडोली शैरानी आबाद खसरा नं 319 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा वाके सरहद शैरानी आबाद हैं। जो भूमि संयुक्त खातेदारी में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपी वाद के साथ प्रस्तुत हैं।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अवश्य दर्ज है, मगर वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बंटवारा हो गया तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण वर्तमान समय में काबिज काश्त है। जिनका बंटवारा निम्न प्रकार से है:-

1. खसरा नम्बर 77 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद शरहद शैरानी आबाद का बंटवारा निम्न प्रकार से है-

वादी मुख्यार खों के 05 बीघा व इसी में से 01 बीघा 12 बिस्वा व प्रतिवादी सं. 01 जमील खा के 08 बीघा 16 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 18 फातमा बानो के 01 बीघा 06 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 19 गुलाब खों के 01

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

बीघा 02 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 21 के 01 बीघा 15 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 22 शेर बानो के 01 बीघा 10 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 23 ता 26 के 01 बीघा 02 बिस्वा व 06 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता हेतु भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट व कब्जे काश्त में आई हुई है।

2. खेत खसरा न. 319 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा वाके सरहद शैरानी आबाद का बंटवारा निम्न प्रकार से है-

प्रतिवादी सं० 9 मजीद खों के 06 बीघा 12 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 10 हबीब खों के 17 बीघा 08 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 30 जीमल अहमद के 01 बीघा व प्रतिवादी सं० 31 गुलशन बानो के 06 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट व कब्जे काश्त में आई हुई है।

3. खेत खसरा न. 19 रकबा 40 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद कुडोली का बंटवारा निम्न प्रकार से है।

प्रतिवादी सं० 11 इजाज खों के 20 बीघा 09 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 12 ता 14 के 11 बीघा व प्रतिवादी सं० 17 अजीजन के 09 बीघा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट व कब्जे काश्त में आई हुई है।

4. खेत खसरा न. 20 रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद कुडोली का बंटवारा निम्न प्रकार से है-

प्रतिवादी सं० 6 दाउद खों के 27 बीघा व प्रतिवादी सं० 12 ता 14 के 03 बीघा 02 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 17 अजीजन के 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट व कब्जे काश्त में आई हुई है।

5. खेत खसरा न. 23 रकबा 51 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद बडाबरा का बंटवारा निम्न प्रकार से है-

प्रतिवादी सं० 09 मजीद खों के 25 बीघा 15 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 10 हबीब खों 25 बीघा 14 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट व कब्जे काश्त में आई हुई है।

प्रार्थना वादी है कि-

1. खसरा नम्बर 77 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद शरहद शैरानी आबाद का बंटवारा निम्न प्रकार से है-

वादी मुख्यार खों के 05 बीघा व इसी में से 01 बीघा 12 बिस्वा व प्रतिवादी सं. 01 जमील खा के 08 बीघा 16 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 18 फातमा बानो के 01 बीघा 06 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 19 गुलाब खों के 01 बीघा 02 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 21 के 01 बीघा 15 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 22 शेर बानो के 01 बीघा 10 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 23 ता 26 के 01 बीघा 02 बिस्वा व 06 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता हेतु भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट व कब्जे काश्त में आई हुई है।

2. खेत खसरा न. 319 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा वाके सरहद शैरानी आबाद का बंटवारा निम्न प्रकार से है-

प्रतिवादी सं० 9 मजीद खों के 06 बीघा 12 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 10 हबीब खों के 17 बीघा 08 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 30 जीमल अहमद के 01 बीघा व प्रतिवादी सं० 31 गुलशन बानो के 06 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट व कब्जे काश्त में आई हुई है।

सहायक कलेक्टर
बीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-2017/229
दायर दिनांक 03.08.2017, निर्णय दिनांक 13.09.2017
मुख्यारखों बनाम जमील खॉं, वगैरा।

3. खेत खसरा न. 19 रकबा 40 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद कुडोली का बंटवारा निम्न प्रकार से है।

प्रतिवादी सं० 11 इजाज खॉं के 20 बीघा 09 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 12 ता 14 के 11 बीघा व प्रतिवादी सं० 17 अजीजन के 09 बीघा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट व कब्जे काश्त में आई हुई है।

4. खेत खसरा न. 20 रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद कुडोली का बंटवारा निम्न प्रकार से है-

प्रतिवादी सं० 6 दाउद खॉं के 27 बीघा व प्रतिवादी सं० 12 ता 14 के 03 बीघा 02 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 17 अजीजन के 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट व कब्जे काश्त में आई हुई है।

5. खेत खसरा न. 23 रकबा 51 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद बडाबरा का बंटवारा निम्न प्रकार से है-

प्रतिवादी सं० 09 मजीद खॉं के 25 बीघा 15 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 10 हबीब खॉं 25 बीघा 14 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट व कब्जे काश्त में आई हुई है।

प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05, 07, 08 व 15, 16, 20 व 27 ता 29 का सामाजिक रीति रिवाज अनुसार इनका हक अदा करने से उक्त खसरान् की भूमि में से इनका नाम हटाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 07 मुनीरदीन को शरहद डाबगाँव में खेत दे चुके हैं तथा प्रतिवादी संख्या 20 बिलाल खॉं द्वारा एक रजिस्टर्ड बैचाण प्रतिवादी संख्या 23 ता 29 के पिता को दिनांक 12.04.2002 को बैचाण कर देने से इनका नाम उक्त खसरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 32 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 19, 21, 24 व 32 के बावजूद इतला के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01, 05, 12 व 17 की ओर से प्रकरण में राजीनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 18 व 20, 22, 23 व 25 ता 31 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया।


विद्वान अधिवक्ता की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पक्षकारान् राजीनामा व इकबालिया जवाब मुताबिक दावा डिक्री किया जाने में सहमत हैं। वादी का वाद पक्षकारान् राजीनामा व इकबालिया जवाब के परिप्रेक्ष्य में डिक्री किया जाना हमारे मत से न्यायोचित प्रतीत है।

अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादर किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा नजरी नक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित अनुसार निम्न बन्टवारा किया जाता है:-

1. शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 77 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा में से


तहाजक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या-2017/229
दायर दिनांक 03.08.2017, निर्णय दिनांक 13.09.2017
मुख्यारखी बनाम जमील खी, वगैरा।

रकबा 05 बीघा व रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा का वादी मुख्यार खां को व रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा का प्रतिवादी सं. 01 जमील खा को व रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 18 फातमा बानो को व रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 19 गुलाब खी को व रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 21 को व रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 22 शेर बानो को व रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 23 ता 26 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी खसरे की भूमि में से रकबा 06 बिस्वा भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है।

2. सरहद शैरानी आबाद में खेत खसरा नं. 319 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा में से रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 9 मजीद खी को व रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 10 हबीब खी को व रकबा 01 बीघा का प्रतिवादी सं० 30 जमील अहमद को व रकबा 06 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 31 गुलशन बानो को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. शरहद कुड़ोली में खेत खसरा नं. 19 रकबा 40 बीघा 09 बिस्वा में से रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 11 इजाज खी को व रकबा 11 बीघा का प्रतिवादी सं० 12 ता 14 को व रकबा 09 बीघा भूमि का प्रतिवादी सं० 17 अजीजन को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. शरहद कुड़ोली में खेत खसरा नं. 20 रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा में से रकबा 27 बीघा का प्रतिवादी सं० 6 दाउद खी को व रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 12 ता 14 को व रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 17 अजीजन को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. शरहद बडाबरा में खेत खसरा नं. 23 रकबा 51 बीघा 09 बिस्वा में से 25 बीघा 15 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 09 मजीद खी को व रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 10 हबीब खी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05, 07, 08, 15, 16, 20, 27 ता 29 का नाम उपर्युक्त खसरान् की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S. लेक्टर
सहायक कलक्टर
(निर्णय)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 13.09.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S. लेक्टर
सहायक कलक्टर
(निर्णय)
डीडवाना

डिगरी बमुकददमें इबादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017 / 229

दायर दिनांक 03.08.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. मुख्त्यार खॉ पुत्र अलादीन खॉ जाति शैरानी मुसलमान निवासी शैरानी आबाद तह. डीडवाना।	1. जमील खॉ पुत्र श्री अलादीन खॉ 2. खातुन पुत्री अलादीन खॉ 3. जुबैदा पुत्री अलादीन खॉ 4. बिसमिला पुत्री अलादीन खॉ 5. बरकत पुत्री अलादीन खॉ 6. दाउद खॉ पुत्र जोमरदीन खॉ 7. मनीरदीन खॉ पुत्र जोमरदीन खॉ 8. आसीया बानो पुत्री जोमरदीन खॉ 9. मजीद खॉ पुत्र रुरतम खॉ 10. हबीब खॉ पुत्र कालू खॉ उर्फ दीनदार खॉ 11. ईजाज खॉ पुत्र फतेह खॉ 12. फारुक खॉ पुत्र मोईदीन खॉ 13. मो0 रसीद पुत्र मोईदीन खॉ 14. मेहसीन खॉ पुत्र रमजान अली 15. सुफिया पत्नी रमजान अली 16. जेतून पुत्री मोईदीन खॉ 17. अजीजन पत्नी जलाल खॉ 18. फातमा बानो पत्नी गुलाब खॉ 19. गुलाब खॉ जोमरदीन खॉ 20. बिलाल खॉ पुत्र जलाल खॉ 21. इब्राहिम खॉ श्री गुलाब खॉ 22. शेर बानो पत्नी हसन खॉ 23. लाल मोहम्मद पुत्र दाउद खॉ 24. मेहमुद अली पुत्र दाउद खॉ 25. गनी मो0 पुत्र दाउद खॉ 26. मो0 हनीफ खॉ पुत्र दाउद खॉ 27. हाजरा बानो पुत्री दाउद खॉ 28. नूर बानो पुत्री दाउद खॉ 29. गुलशन बानो पुत्री दाउद खॉ 30. जमील अहमद पुत्र लोडू खॉ 31. गुलशन बानो पत्नी मोहबत अली जातिगण शैरानी मुसलमान निवासी शैरानी आबाद तह. डीडवाना 32. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना।
	बनाम

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, प्रसारणार्थ
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 13.09.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री मोहम्मद शरीफ शैरानी, अधिवक्ता, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण ओर से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा नजरी नकशा अनुसूची "अ", में दर्शित अनुसार निम्न बन्टवारा किया जाता है:-

1. शरहद शैरानी आबाद में खसरा नम्बर 77 रकबा 22 बीघा 09 बिस्वा में से रकबा 05 बीघा व रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा का वादी मुख्त्यार खां को व रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा का प्रतिवादी सं. 01 जमील खा को व रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा का प्रतिवादी सं. 0 18 फातमा बानो को व रकबा 01

क कलेक्टर
ना (नामौर)


(लगातार)

- बीघा 02 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 19 गुलाब खों को व रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 21 को व रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 22 गैर बानो को व रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 23 ता 26 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी खसरे की भूमि में से रकबा 06 बिस्वा भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है।
2. शरहद शैरानी आबाद में खेत खसरा नं. 319 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा में से रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 9 मजीद खों को व रकबा 17 बीघा 08 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 10 हबीब खों को व रकबा 01 बीघा का प्रतिवादी सं० 30 जमील अहमद को व रकबा 06 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 31 गुलशन बानो को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 3. शरहद कुड़ोली में खेत खसरा नं. 19 रकबा 40 बीघा 09 बिस्वा में से रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 11 इजाज खों को व रकबा 11 बीघा का प्रतिवादी सं० 12 ता 14 को व रकबा 09 बीघा भूमि का प्रतिवादी सं० 17 अजीजन को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 4. शरहद कुड़ोली में खेत खसरा नं. 20 रकबा 32 बीघा 04 बिस्वा में से रकबा 27 बीघा का प्रतिवादी सं० 6 दाउद खों को व रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 12 ता 14 को व रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 17 अजीजन को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 5. शरहद बडावरा में खेत खसरा नं. 23 रकबा 51 बीघा 09 बिस्वा में से 25 बीघा 15 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 09 मजीद खों को व रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 10 हबीब खों को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05, 07, 08, 15, 16, 20, 27 ता 29 का नाम उपर्युक्त खसरान् की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है।


तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो। नजरीनकशा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.09.2017 को जारी की गयी।


 सहायक कलेक्टर
 (सहायक कलेक्टर)
 डीडवाना

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 (सहायक कलेक्टर)
 डीडवाना